

## प्रेस नोट 06-01-2021

1. आज दिनांक 06.01.2021 को थाना अजगैन पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा थाना अजगैन क्षेत्रांतर्गत पेट्रोल पम्प के पास से हुई फाइनेन्सर कम्पनी में काम करने वाले युवकी अपहरण की घटना (मु0अ0सं0 06/21 धारा 364A /504/506 IPC) का 04 घंटे के अंदर खुलासा कर अपहृत युवक को सकुशल बरामद करते हुए साजिशकर्ता दोस्त दुर्गेश उर्फ नवीन यादव पुत्र जगरूप यादव नि0 89/C देहली सुजानपुर थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर व उसके चार साथियों अभय प्रताप सिंह परिहार उर्फ रामजीत पुत्र नरसिंह परिहार नि0 1589/2 मंगला बिहार द्वितीय थाना चकेरी जिला कानपुर नगर, दुर्गेश उर्फ नवीन यादव पुत्र जगरूप यादव नि0 89/C देहली सुजानपुर थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर, शान मोहम्मद उर्फ शानू पुत्र स्व0 मो0 सद्दीक नि0 हरी मस्जिद के पास जाजमऊ थाना चकेरी जिला कानपुर नगर, शान मोहम्मद उर्फ बक्ताबर पुत्र मो0 सलीम नि0 अन्ना चौराहा डबल स्टोरी चौकी सनिगवा थाना चकेरी जिला कानपुर नगर, गोलू उर्फ रंग बहादुर सिंह पुत्र राम आसरे सिंह नि0 ग्राम महौली थाना महाराजपुर जनपद कानपुर नगर को एक लाइसेंसी रिवाल्वर व एक अवैध तमंचा मय 07 जिंदा कारतूस व घटना में प्रयुक्त अटिका कार नं0 UP78 FJ8793 व अपहृत के दोनो हाथ में बंधा कपड़ा व मुँह में तुंसा कपड़ा व घटना मे प्रयुक्त एक अदद सैमसंग की-पेड मोबाइल व एक अदद सैमसंग एन्ड्राइड मोबाइल बरामद गिरफ्तार किया गया। असलहा बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 07/21 धारा 27/28/29 A. ACT बनाम अभय प्रताप सिंह परिहार थाना अजगैन उन्नाव व मु0अ0सं0 08/21 धारा 3/25 A. ACT बनाम दुर्गेश उर्फ नवीन यादव थाना अजगैन उन्नाव पंजीकृत किया गया है।
2. आज दिनांक 06.01.2021 को थाना हसनगंज व थाना मांखी पुलिस द्वारा क्रमशः 1. स्वामी दयाल सिंह पुत्र स्व0 पोखई सिंह नि0 खुर्द मोहान थाना हसनगंज जनपद उन्नाव व 2. बऊका पुत्र जोधा उम्र करीब 20 वर्ष नि0 धनौती थाना कटिया जनपद गोरखपुर हालपता अजय ब्रिक फील्ड बौनामऊ थाना मांखी जनपद उन्नाव को एक-एक अवैध तमंचा व दो-दो जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तों पर क्रमशः मु0अ0सं0 07/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम स्वामी दयाल सिंह उपरोक्त थाना हसनगंज व मु0अ0सं0 06/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम बऊका उपरोक्त थाना मांखी पंजीकृत किया गया है।